

समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

विज्ञापन कोड क्र. :

दिनांक :

प्रति,

आयुक्त,

जनसंपर्क संचालनालय,

ब्लॉक-ए, ग्राउंड फ्लोर, इंद्रावती भवन,

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय : माह के लिए प्रदर्शन विज्ञापन प्रदान किए जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत अनुरोध है कि मैं (स्थान)..... से
पाक्षिक/मासिक/द्विमासिक/त्रैमासिक/वार्षिक समाचार-पत्र/पत्रिकाका प्रकाशन
दिनांक.....माह.....वर्ष.....से नियमित रूप से कर रहा/रही हूँ।

(2) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे राज्य शासन की विज्ञापन नियमावली, 2019 की कंडिका 10(3) की जानकारी है। मेरा केवल एक ही प्रकाशन है तथा मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के किसी अन्य प्रकाशन को जनसंपर्क संचालनालय से विज्ञापन प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि उपर्युक्त जानकारी असत्य पाई जाती है, तो प्रदत्त विज्ञापन राशि की वसूली एवं भविष्य में विज्ञापन से वंचित किए जाने सहित विभाग द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही स्वीकार होगी।

(3) समाचार-पत्र/पत्रिका एवं उसके स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक/संपादक द्वारा संचालित सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(अ) फेसबुक अकाउंट/पेज का नाम : फॉलोअर्स संख्या :

(ब) एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट का नाम : फॉलोअर्स संख्या :

(स) इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम : फॉलोअर्स संख्या :

(4) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे समाचार-पत्र/पत्रिका का शीर्षक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) की Defunct Titles सूची में सम्मिलित नहीं है तथा प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (Press and Registration of Periodicals Act, 2023) के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है।

(5) आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न हैं :-

1. पीआरजीआई पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।
2. नियमित प्रकाशन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी)।
3. प्रसार संख्या संबंधी प्रमाण-पत्र (डीएवीपी/एबीसी/सीए द्वारा जारी)।
4. डीएवीपी दर हो तो उसकी छायाप्रति (यदि लागू हो)।
5. समाचार-पत्र/पत्रिका के नवीनतम अंक की एक प्रति।

कृपया प्रदर्शन विज्ञापन स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक/संपादक)

हस्ताक्षर

नाम.....

पद नाम.....

पता.....

मोबाइल नंबर.....

सील मुहर एवं तारीख

संपादक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

- (1) समाचार-पत्र/पत्रिका में प्रकाशित समस्त समाचार, लेख एवं छायाचित्र मौलिक हैं। यदि किसी अन्य स्रोत से सामग्री का उपयोग किया गया है, तो संबंधित स्रोत का यथोचित उल्लेख (बाइलाइन/क्रेडिट लाइन) किया गया है।
- (2) प्रकाशित सामग्री कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुरूप है तथा उससे संबंधित किसी भी विधिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (3) समाचार-पत्र/पत्रिका के प्रकाशन में अल्टर मुद्रण का प्रयोग नहीं किया गया है।

संपादक का नाम एवं हस्ताक्षर

सील मुहर सहित

मुद्रणालय (मुद्रण स्थान) का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) के स्वामी द्वारा प्रेस के लेटरहेड पर जारी किया जाए, जिसमें मुद्रित समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

- (1) समाचार-पत्र/पत्रिका "....." का मुद्रण "..... प्रिंटिंग प्रेस", स्थित में किया जाता है। उक्त समाचार-पत्र/पत्रिका के माह, वर्ष के अंक की कुल प्रतियाँ मुद्रित की गई हैं।
- (2) उक्त समाचार-पत्र/पत्रिका का अल्टर मुद्रण, पुनर्मुद्रण अथवा अनधिकृत संशोधित संस्करण मुद्रित नहीं किया गया है।
- (3) उक्त समाचार-पत्र/पत्रिका का डिजिटल प्रिंट (Digital Print) अथवा किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम से मुद्रण नहीं किया गया है तथा समस्त प्रतियाँ मुद्रणालय में विधिवत ऑफसेट/स्वीकृत मुद्रण प्रक्रिया द्वारा मुद्रित की गई हैं।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि भविष्य में जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त समाचार-पत्र/पत्रिका के मुद्रण, वितरण, प्रतियों की संख्या अथवा संबंधित अभिलेखों के सत्यापन हेतु किसी भी प्रकार की जानकारी, दस्तावेज या अभिलेख मांगे जाने पर, मैं उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी तथा जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

मुद्रणालय स्वामी का नाम

मुद्रणालय का नाम

सील मुहर सहित

नोट :-

1. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में, संबंधित संस्था के लेटरहेड पर पूर्ण जानकारी सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप से भिन्न आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन-पत्र एवं संलग्न अभिलेखों पर अंकित हस्ताक्षर एवं पदनाम की मुहर मूल होना आवश्यक है। फोटोकॉपी, स्कैन अथवा प्रतिलिपि स्वरूप हस्ताक्षर/मुहर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।